

# मसाइले जनाजा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

42

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सब जहानों का पालनहार है। हम उसी से मदद और माफी तलब करते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमते और बरकते नाजिल हों मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि व सल्लम पर और आपकी आल व औलाद और असहाब रजि. पर।

अम्मा बअद !

अक्सर मक़ामात पर किसी की मौत वाली बीमारी हो या किसी के फ़ौत हो जाने के बाद का मामला, कफ़न का वक़्त हो या दफ़न का, जियारते कुबूर का मौक़ा हो या इसाले सवाब का तरीक़ा हर मामले में बिदआत का अम्बार नज़र आता है जो कभी शिक़ तक जा पहुंचता है। इसलिए ज़रूरी मेहसूस हुआ कि इन से मुताअल्लिक़ जो शरीअत के अहक़ाम हैं वो आम मुसलमानों के इल्म में लाए जाएं। हमारा मक़सद किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि अपने और अपने मुस्लिम भाईयों के लिए हक़ को वाजेह करना है। ताकि आम मुसलमान कुरआन व सुन्नते रसूल सल्ल. के मुताबिक़ अमल करें और बिदआत से बचें।

## मौत और मय्यत के मसाइल

1. अल्लाह तआला से मुलाक़ात की ख़्वाहिश रखना चाहिये। (मुस्लिम-7053, नसाई-1839, तिर्मिजी-937)
2. मौत से नफ़रत नहीं करना चाहिये। (मुसनद अहमद, सिलसिला अहादीस अल सहीहा-813)
3. मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिये। (मुस्लिम-7051, तिर्मिजी-851, नसाई-1821-22)
4. शदीद तकलीफ़ में अगर मौत की आरजू (तमन्ना) करें तो इस तरह करें "या अल्लाह मुझे उस वक़्त तक जिन्दा रख। जब तक मेरे जिन्दा रहने में भलाई है और मुझे उस वक़्त मौत दे दे जब मौत में मेरे लिए भलाई हो।" (मुस्लिम-7047, नसाई-1825, अबुदाऊद -3108)
5. शहादत की मौत के लिए आरजू और दुआ करना जाइज़ है। (बुख़ारी-2797)
6. मौत की तकलीफ़ नाक़ाबिले बयान है। (बुख़ारी-890, 1389, नसाई-1833, तिर्मिर्जि-859)
7. मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहिये। (नसाई-1827, इब्नेमाजा-सही)
8. मरने वाले के करीब बैठकर "ला इलाहा इल्लललाह" पढ़ना बेहतर है। (मुस्लिम-1558, नसाई 1829, इब्ने माजा-1444, अबुदाऊद-3117, तिर्मिजी-856)
9. मौत के वक़्त अल्लाह से बरिख़्शा और माफी की उम्मीद रखना चाहिये। (अबुदाऊद 3113, मुस्लिम)
10. मरते वक़्त कलमा पढ़ना बाइसे निजात है। यानि ऐसा शख़्स जन्नत में दाखिल होगा। (बुख़ारी-1237)
11. हर मुसलमान को ख़ात्मा बिल ख़ैर की दुआ करना चाहिये। (बुख़ारी-1238, अबुदाऊद-3116)
12. मौत के वक़्त पैशानी (माथे) पर पसीना आना ईमान की निशानी है। (इब्ने माजा-1452, नसाई-1831 सही)
13. कर्ज़ के अलावा शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (नसाई-1548, मुस्लिम)
14. बुरी मौत से पनाह मांगना अच्छी बात है। आप सल्ल. यह दुआ मांगा करते थे "या अल्लाह बुढ़ापे की उम्र में मरने, ऊंचाई से गिर कर मरने, किसी चीज़ के ऊपर से गिरने से होनी वाली और ग़म (सदमे) से आने वाली मौत से, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरने से, मौत के वक़्त शैतान के किसी भी हमले से, जहरीले जानवर के काटने से आनी वाली मौत से और तेरी राह (जिहाद) में पीठ देकर मरने से तेरी पनाह मांगता हूँ।" (नसाई-5536-सही)

15. खुदकुशी (आत्महत्या) नहीं करना चाहिये। क्योंकि ऐसा करने वाला जहन्नमी है। जिस तरह कोई शख्स खुदकुशी करेगा जहन्नम में वह उसी हालत में रहेगा। (बुखारी-1365)
16. जिस शख्स के पास कोई क़ाबिले वसीयत चीज़ हो उसे वसीयत लिखकर रखना चाहिये। (तिर्मिजी-854, बुखारी, मुस्लिम)
17. मौत के वक़्त किसी शख्स को अपने सारे माल की एक तिहाई (1/3) से ज्यादा माल सदाक़ा करने की वसीयत नहीं करना चाहिये। (बुखारी-1295, तिर्मिजी-855, मुसनद अहमद)
18. मरने के बाद मय्यत की आंखे बन्द कर देना चाहिये।
19. मय्यत के पास खैर व भलाई की बातें करना चाहिये। (अबुदाऊद-3118, इब्ने माजा-हसन)
20. किसी के मरने पर यह अल्फ़ाज कहना चाहिये। "हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सभी को उसी की तरफ़ लोटना है। या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत के बदले बेहतर अज़दे और इससे बेहतर अता फ़रमा।" (मुस्लिम-1559, अबुदाऊद-3119)
21. मय्यत को चादर से ढांप (ढक) देना चाहिये। (अबुदाऊद-3120, बुखारी-मुस्लिम)
22. मय्यत के वुरसा को मय्यत का क़र्ज़ फ़ौरन अदा करना चाहिये। (तिर्मिजी-949, इब्नेमाजा-सही)
23. मौत की ख़बर भिजवाना जाइज़ है। (बुखारी-1245, मुस्लिम-1612)
24. मरने वाले की खूबियों का जिक़र करना चाहिये। (बुखारी-1367, नसाई)
25. ग़म की हालत में मय्यत पर चीख़ कर रोना, चिल्लाना व मातम करना मना है। (बुखारी-1294, मुस्लिम)
26. जिस घर में मातम और नोहा करने की रस्म हो उस घर में मरने वाला अगर अपने मरने से पहले नोहा करने से मना न करे तो मरने के बाद नोहा करने वालों का अज़ाब मय्यत को होगा। (बुखारी-1291)
27. अगर मरने वाला नोहा और मातम करने की वसीयत कर जाए तब भी नोहा करने वालों का अज़ाब मय्यत को होगा। (मुस्लिम, बुखारी-1291)
28. किसी अपने की मौत पर सब्र करने का बदला जन्नत है। (नसाई-1874-सही)
29. सवाब के क़ाबिल सब्र वही है जो सदमे के फ़ौरन बाद किया जाए। (बुखारी-1252, 1302, इब्नेमाजा-1596)
30. मय्यत पर खामोशी से आंसू बहाना और रोना जाइज़ है। (अबुदाऊद-3126 इब्ने माजा-सही)
31. मय्यत पर सब्र करना जहन्नम की आग से रूकावट और जन्नत में घर पाने का ज़रिया है। (बुखारी-1249)
32. अहले ईमान के वफ़ात पाने वाले नाबालिग़ बच्चे जन्नत में जाते हैं। (बुखारी-1381, 1382)
33. मुशिरकीन और कुफ़ारे इस्लाम के वफ़ात पाने वाले नाबालिग़ बच्चों का मामला अल्लाह के पास है। (बुखारी-1384)

### तअज़ियत के मसाइल

1. तअज़ियत करना सुन्नत है। तअज़ियत करने वाले को क़यामत के दिन हरा लिबास पहनाया जाएगा। (इब्ने असाकिर, ख़तीब-हसन)
2. मय्यत के लिए दुआ करते वक़्त अपने लिए भी दुआ करना चाहिये (मुस्लिम-1560)
3. मय्यत के पास बैठकर भली बातें करना चाहिये।
4. तअज़ियत इन अल्फ़ाज से करना बेहतर है "या अल्लाह मुझे और इस (मय्यत) को बख़्श दे। हिदायत याफ़ता लोगों में इसका दर्जा बुलन्द कर और इसके वारिसों की हिफ़ाज़त फ़रमा। या अल्लाह हम सब को और मरने वाले को माफ़ फ़रमा। मय्यत की क़ब्र को कुशादा कर दे और उसे नूर से भर दे।" (मुस्लिम-1560)
5. किसी अजीज या किसी भी क़रीबी रिश्तेदार की मौत पर तीन दिनों से ज़्यादा सोग (मातम) करना जाइज़ नहीं है। (बुखारी-1281)
6. औरत का अपने शौहर की मौत पर चार माह दस दिन से ज़्यादा सोग करना जाइज़ नहीं है। (बुखारी-1282, मुस्लिम)
7. जिस घर में किसी की मौत हो जाए उनके यहां खाना पकवाकर भिजवाना सुन्नत है।

(इब्ने माजा-1610, अबुदाऊद-3132-हसन)

8. तअजियत के मौके पर बैन करना, चीखना-चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, गाल पीटना और मातम करना मना है। (बुखारी-1298, मुस्लिम)

9. तअजियत के वक्त खामोशी से आंसू बहाना या रोना जाइज है। (बुखारी-1285, इब्ने माजा)

10. मय्यत को दफ़न करने के बाद अहले मय्यत के घर जमा होना और उनके यहां खाना खाना जाइज नहीं। (इब्ने माजा-1612-सही)

11. किसी के मरने पर चिल्लाकर रोना, सर मुन्डवाना और गिरेबान फाड़ना मना (हराम) है। (बुखारी-1296)

12. मय्यत (मरने वाले) की बुराई नहीं करना चाहिये। (बुखारी-1393)

### **गुस्ले मय्यत के मसाइल**

1. मय्यत को गुस्ल देने से पहले अच्छी तरह टटोलना चाहिये ताकि अगर पेट में कुछ हो तो वह बाहर निकल जाए। (मुस्तदरक हाकिम, बैहकी-सही)

2. मय्यत के गुस्ल की शुरुआत वुजु से करना चाहिये। (बुखारी-1253)

3. गुस्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में बैरी के पत्ते डालना मसनून है। (बुखारी-1254)

4. गुस्ल ताक (तीन, पांच या सात) दफ़ा देना चाहिये। (बुखारी-1258, मुस्लिम-1558)

5. आखिरी बार गुस्ल देने के लिए पानी में काफूर डालना बेहतर है। (बुखारी-1263)

6. मय्यत अगर औरत हो तो गुस्ल के बाद सर के बालों की तीन चोटियां बना कर पीछे डाल देना चाहिये। (बुखारी-1254, इब्ने माजा-1458, अबुदाऊद-3142)

7. गुस्ल देने वाला या वाली मय्यत में अगर कोई नागवार चीज देखे तो उसकी पर्दा पोशी करे। (तबरानी, सिलसिला अहादीस अल सहीहा-2353)

8. मय्यत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना और कन्धा देने के बाद वुजु करना अच्छी बात है। (अबुदाऊद-3161, तिर्मिजी-हसन)

9. शहीद के लिए गुस्ल नहीं। (बुखारी-1343, अबुदाऊद-3135)

10. शोहर बीवी को और बीवी शोहर को बिला किराहत गुस्ल दे सकते हैं। (इब्ने माजा-1464, 1465, मुसनद अहमद-हसन)

11. मय्यत को गुस्ल देने के लिए पर्दे का ख़याल रखना ज़रूरी है। (अबुदाऊद-3140, मुस्लिम)

### **कफ़न के मसाइल**

1. जिन्दगी में जो मय्यत का सर परस्त हो, वही कफ़न तैयार करने-कराने का ज़्यादा जिम्मेदार है। (अबुदाऊद-3148-सही)

2. कफ़न साफ़-सुथरा और अच्छे कपड़े से बनाना चाहिये। (इब्ने माजा-1474, तिर्मिजी-सही)

3. किसी मोहताज या बेसहारा मय्यत के लिए कफ़न तैयार करने वाला सवाब का हक़दार है। (सिलसिला अहादीस अल सहीहा-2353, तबरानी)

4. मर्द को तीन कपड़ों में कफ़न देना चाहिये।

5. कफ़न के लिए सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है। (बुखारी-1264, मुस्लिम-1599)

6. औरत के कफ़न में पांच कपड़े इस्तेमाल करना चाहिये। (अबुदाऊद-3157, बुखारी-जिल्द 2 सफ़ा-331)

7. शहीद के लिए न कफ़न है और न गुस्ल। उसी हाल में और उन्हीं कपड़ों में शहीद को दफ़न करना चाहिये। (अबुदाऊद-3135, इब्नेमाजा-1514-हसन)

8. मय्यतें ज़्यादा और कफ़न कम हों तो एक कफ़न में एक से ज़्यादा मय्यतें दफ़न की जा सकती हैं। (अबुदाऊद-3215, इब्ने माजा, नसाई-2014-सही)

9. मेहरम को एहराम की उन्हीं चादरों में कफ़न देना चाहिये जो उसने पहन रखा हो। (अबुदाऊद-3238-हसन)

10. मेहरम और शहीद के अलावा बाकी मय्यतों पर गुस्ल और कफ़न के बाद खुशबु लगाना जाइज है। (अबुदाऊद-3241, नसाई-1907-हसन)

11. किसी नबी, वली या बुजुर्ग के लिबास का कफ़न मय्यत को अज़ाब से नहीं बचा सकता। (तिर्मिजी-सही)

12. कफ़न बनाने क़ब्र खोदने और गुस्ल देने की उजरत मय्यत के माल से अदा करना जाइज है। इसके बाद कर्ज अदा करना और वसीयत पर अमल करना है। (बुखारी-1274-जिल्द-2 सफ़ा-338)

### जनाजे के मसाइल

1. जनाजा ले जाने में जल्दी करना चाहिये। (बुखारी-1315, मुस्लिम-1601, अबुदाऊद-3181)
2. जनाजे के साथ जाना मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है। (बुखारी-1239-40 मुस्लिम)
3. औरतों का जनाजे के साथ न जाना अफ़ज़ल है। (बुखारी-1278, मुस्लिम-1587)
4. जिस जनाजे के साथ ख़िलाफ़े शरअ काम हों उसके साथ नहीं जाना चाहिये। (इब्ने माजा-हसन)
5. जनाजे के साथ खुशबू या आग वगैरह ले जाना मना है (अबुदाऊ-3171-हसन)
6. जनाजे के साथ ऊची आवाज में कलमा तय्यैबा का विद करना या कुरआनी आयात पढ़ना मना है। (बैहकी-हसन)
7. जनाजे के साथ दाये-बाएं या आगे-पीछे चलना जाइज है। (तिर्मिजी-887, अबुदाऊद-3180-सही)
8. जनाजे के साथ सवारी पर जाना जाइज है लेकिन सवार को जनाजे के पीछे चलना चाहिये। (अबुदाऊद-3180, तिर्मिजी-888 सही)
9. जब तक जनाजा जमीन पर न रखा जाए उस वक्त तक बैठना नहीं चाहिये। (बुखारी-1309, मुस्लिम-1622)
10. जनाजा उठाने के बाद वुजू करना बेहतर है। (अबुदाऊद-3161, हाकिम, बैहकी-हसन)

### नमाजे जनाजा के मसाइल

1. नमाजे जनाजा पढ़ने वाले को एक क़ीरात और इसके साथ दफ़न तक रुकने वाले को दो क़ीरात यानि दो बड़े पहाडो के बराबर सवाब मिलता है। (बुखारी-47,325, मुस्लिम-1605)
2. नमाजे जनाजा में सिर्फ़ क़याम है, जिसमें चार तकबीरें हैं। न रूकूअ है और न सज्दा। (बुखारी-1321, मुस्लिम, 1615, अबुदाऊद-3196, इब्ने माजा-1504)
3. गायबाना नमाजे जनाजा पढ़ना जाइज है। (बुखारी-1245, मुस्लिम-1610, 1611)
4. पहली तकबीर के बाद सूरह फ़ातेहा पढ़ना चाहिये। (बुखारी-1335, अबुदाऊद - 3198, इब्ने माजा-1495)
5. पहली तकबीर के बाद सूरह फ़ातेहा, दूसरी के बाद दुरुद शरीफ़ तीसरी के बाद दुआ और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना चाहिये। (अबुदाऊद-3198-सही)
6. नमाजे जनाजा में आहिस्ता या बुलन्द आवाज से क़िराअत करना दोनों तरह जाइज है। (नसाई-1991-सही)
7. सूरह फ़ातेहा के बाद कुरआन की कोई दूसरी सूरह साथ मिलाना भी जाइज है। (अबुदाऊद-3198, नसाई-1991)
8. तीसरी तकबीर के बाद अगर मय्यत बालिग़ हो तो यह दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मग फ़िरली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायिबना व सगीरिना व कबीरिना व जकारिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहय्यतहू मिन्ना फ़हयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़यतहू मिन्ना फ़ त वफ़हू अलल ईमान " यानि या अल्लाह! हमारे जिन्दों को और मुर्दों को, हाजिर व गायब को छोटों और बड़ों को मुर्दों और औरतों को बख़्श दे। या अल्लाह! हम में से जिस को तू जिन्दा रखे उसे इस्लाम पर जिन्दा रख और जिसे मारना चाहे उसे ईमान पर मौत दे।" (अबुदाऊद-3201, इब्ने माजा-1498-सही)
9. बच्चे के जनाजे में यह दुआ पढ़ना चाहिये। "अल्लाहुम्मा अजअल हुलना सलफ़न व फ़रतन व जुखरन "यानि" या अल्ला! इस बच्चे को हमारे लिए पेशवा, पेशरु ज़ख़ीरा और बाइसे अज़ बना दे।" (बुखारी-जिल्द-2 सफ़ा-382)
10. नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम का मर्द मय्यत के सर और औरत के बीच में खड़ा होना चाहिये। (बुखारी-1332, इब्नेमाजा-1494, अबुदाऊद-3194, मुस्लिम-1632)

11. नमाजे जनाजा की चारों तकवीरों में हाथ उठाना (रफ़ायदैन करना) चाहिये। (जुज् रफ़ायदैन-बुख़ारी-1321)
12. नमाज में दोनों हाथ सीने पर बांधना चाहिये। (अबुदाऊद-759, सही इब्ने खुजैमा-479)
13. नमाजे जनाजा में सिर्फ़ एक सलाम कहकर भी नमाज ख़त्म करना जाइज़ है। (दारकुल्नी, हाकिम, बैहकी-हसन)
14. लोगों की तादाद के मुताबिक़ सफ़े कम या ज़्यादा बनाई जा सकती है। (बुख़ारी-1317, मुस्लिम-1614)
15. जिस मोहिद शख़्स की नमाजे जनाजा में चालीस मौहिद आदमी हों, अल्लाह उसकी मग़्फ़रत फ़रमा देता है। (अबुदाऊद-3170, मुस्लिम-1608)
16. मस्जिद में नमाजे जनाजा पढ़ना जाइज़ है। (अबुदाऊद-3190-सही)
17. औरत मस्जिद में नमाजे जनाजा अदा कर सकती है। (मुस्लिम-1646)
18. क़ब्रिस्तान में नमाजे जनाजा पढ़ना मना है। (तबरानी-हसन)
19. क़ब्रिस्तान से अलग तन्हा क़ब्र पर नमाजे जनाजा पढ़ना जाइज़ है। (मुस्लिम-1616, अबुदाऊद-3203)
20. मय्यत दफ़न हो चुकने के बाद भी नमाजे जनाजा पढ़ना जाइज़ है। (बुख़ारी-1336, मुस्लिम-1615)
21. एक से ज़्यादा मय्यतों पर एक ही नमाजे जनाजा पढ़ना जाइज़ है। (मौत्ता मालिक-537)
22. जनाजे मर्द व औरत दोनों के हों तो मर्द की मय्यत इमाम के क़रीब और औरत की मय्यत क़िब्ले की तरफ़ होना चाहिये। (अबुदाऊद-3193, मौत्ता मालिक-537)
23. तीन वक्तों (जब सूरज निकलने लगे, जब दोपहर हो और जब सूरज डूबने लगे) में नमाजे जनाजा पढ़ना मना है। (अबुदाऊद-3192, इब्नेमाजा-1519, तिर्मिज़ी-904-सही)

### तदफ़ीन के मसाइल

1. क़ब्र गहरी, चौड़ी और साफ़-सुथरी होना चाहिये। (अबुदाऊद-3215-सही)
2. क़रीबतरीन रिश्तेदारों को चाहिये कि मय्यत को क़ब्र में उतारें। (हाकिम, बैहकी-सही)
3. ज़रूरत के वक्त एक क़ब्र में एक से ज़्यादा मय्यतें दफ़न की जा सकती है। (इब्ने माजा-1560-सही)
4. शौहर अपनी बीवी की मय्यत को क़ब्र में उतार सकता है। (इब्नेमाजा-हसन)
5. मय्यत क़ब्र में रखते वक्त यह दुआ "बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाहि सल्लललाहु अलैहि व सल्लम" पढ़ना मसनून है। (मुस्लिम-1550, अबुदाऊद-3213)
6. क़ब्र पर तीन मुट्ठी मिट्टी डालना सुन्नत है। (मुस्लिम-1565, मिश्कात-1628-सही)
7. ज़मीन से क़ब्र की ऊचाई एक बालिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिये। (अबुदाऊद-3220-सही)
8. क़ब्र ऊची बनाना, पक्की बनाना या क़ब्र पर मज़ार बनाना या कोई तामीर करना मना है। (अबुदाऊद-3225-सही)
9. क़ब्र पर नाम, तारीखे वफ़ात या कुछ और लिखना मना है। (अबुदाऊद-3226, इब्नेमाजा-1564, नसाई-सही)
10. क़ब्र पर बतौर निशानी पत्थर गाढ़ना सही है। (इब्ने माजा-1561, अबुदाऊद-3206-सही)
11. दफ़न के बाद क़ब्र पर पानी छिड़कना जाइज़ है। (इब्ने माजा-1551, मिश्कात-1618सही)
12. रात में दफ़न करना जाइज़ है। (बुख़ारी-1247)
13. तीन वक्तों (सूरज निकलने, सूरज सरपर होने और सूरज के डूबते वक्त) में मय्यत को दफ़न करना मना है। (इब्ने माजा-1519, मुस्लिम)
14. दफ़न हो जाने के बाद मय्यत से सवाल होते हैं। (तिर्मिज़ी-हसन)
15. दफ़न के बाद क़ब्र पर खड़े रहकर मय्यत के लिए सवाल जवाब के वक्त साबित क़दम रहने की दुआ करना चाहिये। (अबुदाऊद-3221-सही)
16. क़ब्र में अजाब होता है उससे पनाह मागना चाहिये। (बुख़ारी-1377, तिर्मिज़ी-942)
17. मय्यत को क़ब्र में सुबह व शाम उसका ठिकाना (जन्त या जहन्नम) दिखाया जाता है। (बुख़ारी-1379, मुस्लिम-7418)

18. मौमिन मुर्दे की हडडी तौड़ना या काटना जिन्दा इन्सान के अअजा तोड़ने या काटने जैसा है। (अबुदाऊद-3207, इब्ने माजा-1616-हसन)

### जियारते कुबूर के मसाइल

1. दुनिया से बेरगुबी हासिल करने और आखिरत को याद करने की नीयत से कब्रों की जियारत करना जाइज है। (इब्ने माजा-1571, अबुदाऊद-3235-सही)
2. चीख व पुकार न करने वाली औरतें भी कब्रों की जियारत कर सकती है। (बुखारी-1583)
3. बकसरत कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्ल. ने लअनत की है। (इब्नेमाजा-1574-हसन)
4. कब्रों की जियारत करते वक्त पहले अहले कुबूर को सलाम कहना, फिर दुआ व अस्तगफ़ार करना चाहिये। (मुस्लिम-1650)
5. अहले कुबूर के लिए दुआ करते वक्त अपने लिए भी दुआ करना चाहिये। (इब्नेमाजा-1547, मुस्लिम-1650)
6. जियारते कुबूर के वक्त यह दुआ करना मसनून है। "अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयारि मिनल मौमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम व ललाहिकुन। नसअल्ललाहु लना वला कुमुल आफ़िया "यानि " ऐ इस घर के मोमिनों और मुसलमानों!अस्सलामु अलैकुम! हम इन्शाअल्लाह तुम्हारे पास आने वाले है। हम अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए खैर व आफ़ियत चाहते है। " (अबुदाऊद-3235, मुस्लिम-1650, इब्ने माजा-1547)
7. दुआ करते वक्त अल्लाह तआला के अस्मा ए हुस्ना, इस्मे आजम उसकी सिफ़ात और अपने नेक आमाल का वसीला लेना जाइज है। (मुसनद अहमद-सही)
8. किसी नबी वली या, बुजुर्ग की कब्र पर दुआ करते हुए उन्हें अपनी हाजात पेश करना या अल्लाह से हाजात पूरी कराने की दरखास्त करना या उनसे मुरादे मांगना मना है। (बुखारी-32)
9. कब्रिस्तान में या किसी मजार पर बैठकर कुरआन पढ़ना मना है। (मुस्लिम-1337, जिल्द-2 सफ़ा-270)
10. कब्रिस्तान या किसी मजार पर नमाज पढ़ना या इबादत करना मना है। (बुखारी-1341, अबुदाऊद-3229)
11. कब्र या मजार पर मस्जिद बनाना या मस्जिद में कब्र या मजार बनाना मना है। (मुस्लिम-857, बुखारी-1341)
12. ऐसी मस्जिद जिसमें कब्र या मजार हो उसमें नमाज पढ़ना मना है। (बुखारी-1330, अबुदाऊद-3227)
13. कब्रों या मजारों पर चाहे वो नबीयों की हो या औलिया की चढ़ावा चढ़ाना, नजर-नियाज देना या मन्नत मांगना मना है। (मुसनद अहमद सही)
14. नबीयों, वलीयों की कब्रों के सामने सर झुकाकर खड़े होना या नमाज की तरह हाथ बांधे खड़े रहना, सज्दा करना या उनका तवाफ़ करना मना है (अबुदाऊद-3236-सही)
15. किसी नबी, वली या बुजुर्ग की कब्र पर उर्स या मेला लगाना मना है। (मुसनद अहमद-सही)
16. कब्रों या मजारों का मुजावर बनना मना है। (मुस्लिम-1639, 1641)
17. किसी कब्र या मजार पर जानवर जिब्ह करना, मिठाई, दूध, चावल, या खाना वगैरह बांटना मना है। (अबुदाऊद-3222-सही)
18. बरकत हासिल करने, औलाद मांगने या शिफ़ा हासिल करने की नीयत से कब्र या मजार पर बाल या धागा वगैरह बांधना मना है। (मुसतरद हाकिम, मुसनद अहमद (हसन)
19. किसी नबी या वली की कब्र या मजार की जियारत करने के इरादे से सफ़र नहीं करना चाहिये। (बुखारी-1189, मुस्लिम-2510-11)4

माखूज

जनाजे के मसाइल

मुहम्मद इक़बाल कीलानी